

कार्यालय जिलाधिकारी गाजियाबाद
खनन अनुभाग

संख्या: 997 / ख0लि0-मि0ख0अनु0 / 14

दिनांक 29/9 / 2014

उपखनिज के निकासी की अनुमति

मै0 प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा श्री रतन मित्तल पुत्र श्री जयप्रकाश मित्तल निवासी- डी- 157, सै0- 61, नोयडा, गौतमबुद्धनगर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2014 प्रस्तुत किया है। भूवैज्ञानिक (जिला खनन अधिकारी), गाजियाबाद की तकनीकी जाँच आख्या दिनांक 18.09.2014 पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22-9-2014 के द्वारा बेसमेंट के निर्माण से निकलने वाले 5 मीटर गहराई तक 40885 घनमीटर साधारण मिट्टी व 02 मीटर गहराई तक 16354 घनमीटर मृदायुक्त बालू निकासी की अनुमति प्रदान कर दी गयी है। आवेदक द्वारा 40885 घनमीटर साधारण मिट्टी पर रू0 14/- प्रति घन की दर से देय रायल्टी रू0 5,72,390 /- तथा 16354 घनमीटर मृदायुक्त बालू पर रू0 33/- प्रति घन की दर से देय रायल्टी रू0 5,39,682/- होती है। इस प्रकार कुल देय रायल्टी रू0 11,12,072/- (रू0 ग्यारह लाख बारह हजार बहत्तर मात्र) होती है। जिसमें रू0 10,88,000/- चालान सं0 आर 1,23,872/- दिनांक 23/9/2014 एवं रू0 25,000/- ड्राफ्ट 0376360 दिनांक 27.09.2014 कुल रू0 11,13,000/- के द्वारा राजकीय लेखाशीर्षक 0853 में जमा कर दिया है। अतः जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 22-9-2014 के अर्न्तगत एतद्वारा तीन माह के भीतर निम्नवत् शर्त के अधीन बेसमेंट निर्माण हेतु 5 मीटर गहराई तक 40885 घनमीटर साधारण मिट्टी एवं 2 मीटर गहराई तक 16354 घन मीटर मृदायुक्त बालू निकासी की अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

तहसील	परगना	ग्राम/स्थान	खसरा/प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल/मात्रा
गाजियाबाद	लोनी	सिद्धार्थ नगर, गाजियाबाद	4/बीएस-01 एवं 4/बीएस-05(टावर एरिया- सी- 5,6,7,9,10)	8177 वर्गमीटर भाग में से 5 मीटर गहराई तक 40885 घनमीटर साधारण मिट्टी एवं 2 मीटर 16750 घनमीटर मृदायुक्त बालू की अनुमति 03 माह हेतु

आवेदक द्वारा निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन किया जाना आवश्यक है:-

1. आवेदक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के दावे की क्षतिपूर्ति करता रहेगा और इस प्रकार के दावे को उसके उत्पन्न होते ही स्वयं निश्चित करेगा।
2. आवेदक ऐसी रीति से खनिज निकालेगा जिससे कोई सड़क, सार्वजनिक मार्ग, भवन, भू-गृहादि, सार्वजनिक भू-स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुँचे।
3. खनन कार्य मनुअल विधि से किया जायेगा।
4. आवेदक संग्रह किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
5. खनिज की निकासी की मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में घटित होगी, तक मान्य होगी।
6. प्रत्येक 15 दिन में खनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. निकासी कार्य इस प्रकार से किया जायेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व कार्यरत मजदूरों को हानि न पहुँचे और यदि कोई क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
8. यदि निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की मात्रा एवं रायल्टी का आकलन किया जायेगा जो आवेदक को अतिरिक्त रायल्टी के रूप में देना होगा।
9. हाईड्रेशन लाईन के टावर से 50 मीटर की दूरी छोड़कर ही बेसमेंट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
10. पक्की रोड, बिजली का खम्भा, नाले तथा सार्वजनिक स्थल आदि से सुरक्षित दूरी छोड़कर ही बेसमेंट निर्माण का कार्य किया जायेगा।
11. यदि आवेदक द्वारा दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो निकासी आदेश निरस्त कर दिया जायेगा और जमा रायल्टी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी तथा वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है।
12. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद गाजियाबाद, से स्वीकृति मानचित्र पत्र संख्या 1875 दिनांक 28.08.2014 में दी गई शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21-443/2007-1ए-111 दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा यह स्वीकृति आदेश माननीय न्यायालयों/नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अधीन होगी। तथा जिसका पालन सुनिश्चित करना आवेदक को अनिवार्य होगा।
14. निदेशक पर्यावरण निदेशालय उ0प्र0 विनीत खण्ड 1 गोमती नगर लखनऊ के पत्रांक 2557/पर्या0/एस0ई0ए0सी0/ साधारण मिट्टी खनन /2012 दिनांक 18.12.2012 तथा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 21-443/2007-1ए-111 दिनांक 31.1.2007 में दिये गये निर्देशों एवं शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अतिरिक्त शर्तें:-

1. Top soil should be adequately preserved and should be used for landscaping.
2. Excavated soil should be properly stored in a manner not to increase surrounding SPM level.
3. Water sprinkling should be exercised during excavation and storage of soil for suppression of fugitive dust.
4. Unused excess soil should be disposed with proper permission from District Administration.
5. Disposal of unused soil should only be transported in covered vehicles.
6. Excavated area should be properly reclaimed and insured that no open bore hole is left.
7. Safety measures for the people working at the site shall be duly taken care of per law.

(नवीन कुमार दास)
भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सदर गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद।
- 4- धानाध्यक्ष, संबंधित।
- 5- मै0 प्रतीक रियलटर्स इण्डिया प्रा0 लि0 द्वारा श्री रतन मित्तल पुत्र श्री जयप्रकाश मित्तल निवासी- डी- 157, सै0- 61, नोयडा, गौतमबुद्धनगर।

(नवीन कुमार दास)
भूवैज्ञानिक/जिला खनन अधिकारी
गाजियाबाद।